



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2290]

नई दिल्ली, बुहस्पतिवार, नवम्बर 4, 2010/कार्तिक 13, 1932

No. 2290]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 4, 2010/KARTIKA 13, 1932

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

(Department of Revenue)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2010

New Delhi, the 4th November, 2010

का.आ. 2710(अ).—केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 5 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एवंद्वारा धारा 5 की उक्त उप-धारा के प्रयोगन हेतु स्पाइसजेट को “प्राधिकृत भारतीय वाहक” के रूप में घोषित करने के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

S.O. 2710(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 5 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby specifies Spicejet for declaration as “designated Indian carrier” for the purpose of the said sub-section of Section 5.

[फा. सं. एस-28011/2/2010-एस ओ (एसटी)]

[F. No. S-28011/2/2010-SO(ST)]

अरविन्द कुमार, अवर सचिव

ARVIND KUMAR, Under Secy.